न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धाराः–251 (ए) आरटीए
प्रकरण संख्याः–25/2018

1. गुरदीपकौर पत्नी राजेन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी 1 आर.के. रताखेड़ा तहसील टिब्बी । –प्रार्थीया

बनाम

1. सिकन्दर अली पुत्र शमशेर अली जाति मुसलमान निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी। –अप्रार्थी

उपस्थितः–श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता प्रार्थीया
श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 12.9.18

प्रार्थीया गुरदीपकौर ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना–पत्र बावत् रास्ता स्वीकृति के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रार्थीया की कृषि भूमि चक नं0 1 आर.के. प0न0 223/280 मु0 15 किला नं0 1/.253,प0न0 223/229 मु0 4 किला नं0 19 ता 23/.746 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व अप्रार्थी के नाम से चक नं0 1 आर.के. प0न0 223/280 मु0 15 किला नं0 10,11,20,21,खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थना–पत्र में वर्णितानुसार वाके चक नं0 1 आर.के. के प0न0 223/281 मु0 20 किला नं0 1 ता 5 में मन्जूरशुदा रास्ता चालु है। प्रार्थीया चक नं0 1 आर.के. प0न0 223/280 मु0 15 किला नं0 10,11,20,21 में होकर अपनी कृषि भूमि इसी पत्थर के किला नं0 1 में प्रवेश करती है व मौका पर किला नं0 10,11,20,21 में रास्ता करीब 25–30 वर्षो से चला आ रहा है व उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीया को कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया मौका पर चालु रास्ता प0न0 223/280 मु0 15 किला नं0 10,11,20,21 में से आ– जा रही है व इसी रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 अंकित करवाना चाहती है। प्रार्थीया स्वीकृत रास्ता के बदले में अपनी कृषि भूमि में से भूमि देने को तैयार है। मौका पर 10 फुट चौड़ा रास्ता चालु है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं होने से प्रार्थीया को काफी परेशानी होती है। इसलिए प्रार्थीया चक नं0 1 आर.के. के प0न0 223/280 मु0 15 किला नं0 10,11,20,21 में 10 फुट चौड़ा यानि 015 है0 रास्ता चौड़ा प्रत्येक बीघा लम्बा रास्ता उतर से दक्षिण, पश्चिमी दिशा की तरफ स्वीकृत करवाना चाहती है। राजस्व रिकार्ड में दफ़ा 2 में दर्ज चालु रास्ता स्वीकृत नहीं होने से अप्रार्थी मुझ प्रार्थीया को उक्त चालु रास्ता बन्द करने की धमकियॉ दे रहा है। अगर अप्रार्थी ने रास्ता को बंद कर दिया तो प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि में प्रवेश नहीं कर सकेगी।

प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि वह प्रार्थना–पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में से रास्ता स्वीकृत करवाकर गैर0मु0 रास्ता का अंकन करवा देवें तो अप्रार्थीगण कतई इन्कार हो गया। बस यही बिनाय प्रार्थना–पत्र है।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश होने पेर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली राठेखेड़ा कैम्प में रखी गई। पटवारी हल्का से रिपोर्ट मॉगी गई। उक्त पत्रावली में प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है हम पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो चुका है। प्रार्थीया व अप्रार्थी द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसमें निवेदन किया गया कि हम पक्षकारान आपस में खेत पडौसी है। द्वितीय पक्ष ने अपनी भूमि चक नं0 1 आर.के. प0न0 223/280 मु0न0 15 किलानं0 10,11, 20 व 21 में से पश्चिम दिशा की और से रास्ता 10 फुट चौड़ा तथा 4 बीघा लम्बा यानि 660 फुट लम्बा रास्ता प्रथम पक्ष को उसकी भूमि में आने जाने के लिए दिया है तथा इसके बदले में प्रथम पक्ष ने चक नं0 1 आर.के. प0न0 223/280 मु0 15 किला नं0 1 में पश्चिम दिशा की और 10 फुट रास्ता को छोड़कर नाली रकबा में से दक्षिणी दिशा की ओर से 45 फुट चौड़ी व 155 फुट लम्बी

Scanned by CamScanner

भूमि दी है। रास्ता मौका पर चालू है। उक्त रास्ता के अलावा प्रथम पक्ष को अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाकर गै0मु0 रास्ता का अंकन कर द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा रास्ता की भूमि के बदले में दी गई भूमि का अंकन द्वितीय पक्ष के नाम से किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई उज्र व ऐतराज नहीं है। राजीनामा शामिल मिसल किया गया ।

न्यायालय स्तर पर तहसीलदार टिब्बी से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई जो उनसे पत्रांक 1010 दिनांक 4.9.2018 से भिजवाई गई है। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के नाम से वर्णित रकबा का विवरण भिजवाते हुवे यह अंकित किया है कि चक नं. 1 आरके के प.नं. 228/281 मु.नं. 21 तथा प.नं. 221/281 मु.नं. 22 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में से 0.025 है. गैर मुमकिन रास्ता व वर्तमान प.नं.. 228/280 मु.नं. 15 कि.नं. 10–11–20–21 प्रत्येक में चालू रास्ता निकटतम है। प्रार्थीया के खेत के पास गुजरने वाले समस्त कटाणी रास्तों में उक्त चालू रास्ता ही उपयुक्त है। प्रार्थीया को रास्ता दिया जाना आवश्यक है व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीया व अप्रार्थी दोनों इस रास्ते के लिए सहमत है। अप्रार्थी सिकन्दरअली पुत्र शमशेर अली का शपथ–पत्र संलग्न है। सिकन्दर अली पुत्र शमशेर अली के नाम से चक नं. 1 आरके के प.नं. 223/280 मु. नं. 15 कि.नं. 10–11–20–21 प्रत्येक में 0.015 है. रास्ता मौके पर चालू है जो गैर मुमकिन रास्ता किया जाना है तथा गुरदीपकौर के नाम दर्ज रकबा चक नं. 1 आरके के प.नं. 283/280 मु.नं. 15 कि.नं. 1/.253 है. नाली प्रथम .228, व 0.025 है. गैर मुमकिन खला में से 0.060 है. नाली प्रथम सिकन्दर अली पुत्र शमशेर अली के नाम 0.060 हैक्टेयर नाली प्रथम दर्ज किया जाना उचित है। मुताबिक रिपोर्ट रास्ता स्वीकृत किये जाने की भिजवाई है। उपर्युक्त रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया रास्ता की मांग सुविधा के नहीं कर रही है बल्कि उसे रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है व जिस रास्ता की मांग की जा रही है वह सबसे कम दूरी का है व स्वीकृत रास्ता के लगता है।

वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रस्तावित रास्ता व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के मुताबिक प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रार्थीया व अप्रार्थी के नाम अंकित है। उक्त पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। दोनों पक्ष सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है, इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया, अप्रार्थी के राजीनामा की सहमति से स्वीकार किया जाता है व अप्रार्थी सिकन्दरअली की कृषि भूमि चक नं0 1 आर.के. प0न0 223/280 मु0न0 15 किला नं0 10,11, 20 व 21 मे से पश्चिम दिशा की और से रास्ता 10 फुट चौड़ा तथा 4 बीघा लम्बा यानि 660 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाकर गै0मु0 रास्ता का अंकन करने व रास्ता की भूमि के बदले मे प्रार्थीया की कृषि भूमि चक नं0 1 आर.के. प0न0 223/280 मु0 15 किला नं0 1 में पश्चिम दिशा की और 10 फुट कृषि भूमि को छोड़कर नाली रकबा में से दक्षिणी दिशा की ओर से 45 फुट चौड़ी व 155 फुट लम्बी कृषि भूमि अप्रार्थी के नाम से दर्ज किया जाकर प्रार्थीया के हिस्सा से भूमि कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में गै0मु0 रास्ता का अंकन किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक.....12/9/18...को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner